विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
भारत सरकार
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400096

सीप्ज -सेज़ /सीआइआर/71/पार्ट VI/2010/7867 दिनांक : 14.05.2015

परिपत्र सं.04

विषय : सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र (विकास आयुक्त कार्यालय के गेट से भिन्न)में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी तथा दैनिक गेट पासों के जारी किए जाने की क्रियाविधि ।

दिनांक 29.4.2015 तथा दिनांक 01.5.2015 के परिपत्र संख्या 2 तथा 3 में निर्धारित क्रियाविधि में आंशिक आशोधन किया गया है, अतः निम्नलिखित व्यापक गाइड लाइन्स क्रियाविधि दिनांक 15.5.2015 से प्रभावी होंगे । यह परिपत्र सं. 2 तथा 3 के अधिक्रमण में है ।

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र होने के कारण, क्षेत्र के अंदर तथा क्षेत्र के बाहर वस्तुओं का संचलन निर्धारित क्रियाविधि के सख्त अनुपालन के अधीन है । व्यक्तियों /वाहनों का प्रवेश/निकास भी प्रतिबंधित है जिसका नियंत्रण सीप्ज़ सुरक्षा विंग द्वारा गेट पास जारी करके किया जाता है । सीप्ज़ -सेज़ कांप्लेक्स के अंदर वैध प्रवेश पास के बिना पाए जाने वाले व्यक्तियों /वाहनों के विरुद्ध न केवल अतिचार कार्रवाई की जा सकती है बल्कि लागू विधि के अन्य उपबंधों के अधीन भी कार्रवाई की जा सकती है ।

1. गेट पास सिस्टम प्रत्येक दिन (रविवार को छोड़कर) प्रात : 8 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक खुला रहेगा ।

2. दैनिक गेट पास सिस्टम प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुला रहेगा । हाथ से जारी किए गए पास व्यक्तिगत मामले के आधार पर सहायक सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा प्रभारी से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

3. गेट पास के लिए 12.30 बजे तक प्राप्त किए जानेवाले अनुरोधों पर ही कार्रवाई की जाएगी तथा उसी दिन गेट पास सुपुर्द किए जाएंगे । तथापि जिन गेट पासों के लिए 12.30 बजे के बाद अनुरोध प्राप्त होंगे,वे अगले कार्य दिवस को सुपुर्द किए जाएंगे ।

4. गेट पास काउंटर पर गेट पास सुपुर्दगी का समय 3.00 बजे से 6.00 बजे तक रहेगा ।

5. सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण निधि, मुंबई के पक्ष में पे ऑर्डर / डीडी बनाने के लिए गेट नं. 1 पर स्थित सुरक्षा अनुभाग से यूनिट को बिल की प्रति सौंपी जाएगी ।

6. डी डी /पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक के प्राप्त होने पर यूनिटों को गेट पास सुपुर्द किए जाएंगे । वैकल्पिक रूप से यूनिट अग्रिम भुगतान करके जमाशेष का हिसाब रख सकते हैं । ऐसी स्थिति में संगत बिलों के साथ ही गेट पास सुपुर्द किए जाएंगे ।

आवेदनों तथा दस्तावेजों , कलर सिस्टम्स तथा गेट पास शुल्कों के संबंध में क्रियाविधि :

क्रमांक	गेट पास का विवरण	प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज	कागज़ का कलर	दिनांक 01.5.2015 से प्रभावी गेट पास शुल्क
1 (क)	आगंतुकों के लिए दैनिक गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीप्ज़ सेज सुरक्षा के अनुमोदन के बाद वाइट कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	वाइट	निःशुल्क
1 (ख)	मजदूर (विक्रेता) के लिए दैनिक गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीप्ज़ सेज सुरक्षा का अनुमोदन मिलने पर लाइट ग्रीन कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	लाइट ग्रीन	निःशुल्क
1 (ग)	मजदूर (विनिर्माता) के लिए दैनिक गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए आवेदन करेंगे तथा सीप्ज़ सेज सुरक्षा का अनुमोदन मिलने पर लाइट ब्लू कागज पर इसका प्रिंट लेंगे ।	लाइट ब्लू	i)दो गेट पास तक (निःशुल्क) ii) इसके पश्चात जारी किए जाने वाले प्रत्येक पास के लिए 5 रु
1 (घ)	सनसिटी होटल के वाहन के साथ अथवा वाहन के बीना आने वाले अतिथियों के लिए दैनिक गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए (व्यापार) प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए आवेदन करेंगे तथा सीप्ज़ सेज़ सुरक्षा का अनुमोदन मिलने पर इसका पिंक कागज़ पर प्रिंट लेंगे । यूनिट एक दिन के गेट पास पर रजिस्टर्ड कार का नंबर भी दर्शाएंगे ।	पिंक	निःशुल्क
2	वाहन के साथ आने वाले आगंतुकों के लिए एक दिन का गेट पास	1. यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरिए (व्यापार) प्रतिनिधि के रूप में)उनके लिए आवेदन करेंगे तथा सीप्ज़ सेज़ सुरक्षा का अनुमोदन मिलने पर इसका पिंक कागज़ पर प्रिंट लेंगे । यूनिट एक दिन के गेट पास पर रजिस्टर्ड कार का नंबर भी दर्शाएँगे ।	पिंक	निःशुल्क
3	15 दिनों के लिए गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो ।	व्हाइट	30 रू
4	6 महीने के लिए गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो ।	आइटी तथा हार्डवेयर के लिए ग्रीन स्ट्रीप और ज्वेलरी के लिए यैलो	75 रू .

5	एक साल के लिए गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।	आइटी तथा हार्डवेयर के लिए डार्क ब्राउन और ज्वेलरी के लिए डार्क पिंक	150 रू .
6	3 साल के लिए गेट पास	यूनिट अपने परिसर में संस्थापित ईडीआइ सिस्टम के जरीए आवेदन करेंगे तथा साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेंगे : - 1) आवेदन की हार्डकापी 2) आवेदन पर स्टैम्प साइज का एक फोटो चिपकाया जाएगा जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।	आइटी तथा हार्डवेयर के लिए ऑरेंज और ज्वेलरी के लिए नेवी ब्लू	250 रू .
7 (क)	उपयोगी सेवाएँ अर्थात एमटीएनएल, डाक घर , रिलायंस एनर्जि, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेस, सीडबल्यूसी, वोडाफ़ोन, एयरटेल, बीएसएनएल, एमआइडीसी तथा उनके कर्मचारी (6 महीनों के लिए)	सेवा प्रदाता निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन जिसमे निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म -तिथि (घ) पता (ड) दो पासपोर्ट साइज़फोटो 2) 2) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट (सरकारी / सरकारी उपक्रमो के कर्मचारियों को छोड़कर) 3) 3) प्रभारी सुरक्षा (संयुक्त विकास आयुक्त)से अनुमति पत्र	ब्राउन स्ट्रीप्स	150 रू.
(ख)	श्रम संविदाकार के लिए उपयोगी सेवाएँ (6 महीनों के लिए)	सेवा प्रदाता / संविधाकार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी कों आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो ;- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म -तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) संविधा / करार / कार्य आदेश कि प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन/वैध पासपोर्ट	ब्राउन स्ट्रीप्स	150 रू
(ग)	7 (क) तथा 7 (ख) में उल्लिखित उपयोगी सेवाओं के लिए एक दिन का गेट पास	सेवा प्रदाता निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) आयु 2) पारी प्रभारी / गेट प्रभारी का अनुमोदन	व्हाइट	निःशुल्क
(घ)	सफाई संविदाकार/ कचरा संविदाकार (6 महीने के लिए)	सफाई संविदाकार / कचरा संविदाकार निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) संविदा /करार/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स	ब्राउन स्ट्रीप्स	150 रू

(ड:)	कूरियर सेवा (6 महीनों के लिए)	कूरियर सेवाएँ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) मान्यताप्राप्त कूरियर कंपनी से प्राधिकार पत्र 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।	ब्राउन स्ट्रीप्स	150 रू
8 (क)	विक्रेता (फ्रेट फोर्वार्डर सहित) (1 साल के लिए)	1) विक्रेता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) संविदा /करार/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स 5) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।	फुल स्काइ ब्लू	600 रू
(ख)	टिफिन सप्लायरों से भिन्न बल्क सप्लाइ करने वाले बाहरी कटेरेर्स	बाहरी कटेरेर्स निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) संविदा /करार/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3)पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) बीएमसी लाइसेन्स 5) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।	फुल स्काइ ब्लू	600 रू
(ग)	संविदा/ बस ड्राईवर / क्लीनर / मालिक पास (6 महीनों के लिए)	बस संविदाकार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को आवेदन जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो :- (क) नाम (ख) पदनाम (ग) जन्म तिथि (घ) पता (ड) दो फोटो 2) संविदा /करार/कार्य आदेश की प्रतिलिपि 3) पुलिस सत्यापन /वैध पासपोर्ट 4) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित यूनिट का सिफारिशी पत्र ।	ब्लाक स्ट्रीप	600 रू
9 (क)	मालिकों / कर्मचारियों / कामगारों / स्टाफ के दुपहियों के प्रवेश/निकास के लिए स्टिकर	यूनिट निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । 3) आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर) 4) वैध पीयूसी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि 5) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	200 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)
(ख)	मालिकों / कर्मचारियों /कामगारों /स्टाफ के कारों के प्रवेश/निकास के लिए स्टिकर	यूनिट निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । 3) आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)

		राज्य का वाहन होने पर) 4) वैध पीयूसी सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि 5) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि		
(ग)	प्रवेश /निकास के लिए टी वाहन गेट पास	संविदाकार /वाहन मालिक निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 6) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन 7) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर) 8) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 9) वैध पी यू सी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 10) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 1) यूनिटों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हों वैध टी -परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)
(घ)	प्रवेश/निकास के लिए बस स्टिकर	संविदा बस के / मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर) 3) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 4) वैध पीयूसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 5) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 6) यूनिटों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हों 7) वैध टी - परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	5000 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)
10(क)	यूनिट के वाणिज्यिक वाहन (केवल मालवाही वाहनों) के प्रवेश /निकास के लिए स्टिकर	संविदा बस के / मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन 2) आर सी बुक की प्रतिलिपि जिसमें उनके स्वयं के /उनके पिता के /उनकी माता के अथवा उनकी पत्नी के नाम वाहन का स्वामित्व हो । आर टी ओ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (दूसरे राज्य का वाहन होने पर) 3) दुरुस्ती प्रमाणपत्र 4) वैध पीयूसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि 5) वैध बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि 6) यूनिटों से प्राधिकार -पत्र जिसमें कर्मचारियों तथा उनके गेट पास नंबरों के विवरण दिए गए हों 7) वैध टी - परमिट सर्टिफिकेट	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	500 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)
(ख)	वाणिज्यिक वाहनों केवल मालवाही वाहनों के प्रवेश /निकास के लिए रात्रि अनुमति	यूनिट निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे :- 1) सुरक्षा प्रभारी (संयुक्त विकास आयुक्त) से अनुमति 2) वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्राप्त किए गए स्टिकर अथवा उपर्युक्त पैरा संख्या 10 (क) मे उल्लिखित सभी दस्तावेज़	वार्षिक आधार पर कलर में परिवर्तन किया जाएगा	2000 रु (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए)

- मजदूर (विनिर्माण) के लिए क्रमांक 1 (ग) में उल्लिखित प्रभार दिनांक 15.5.2015 से प्रभारी होंगे । दिनांक 29.4.2015 के परिपत्र संख्या 02 के अनुसार क्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित अन्य कोटियों के लिए यूनिटों द्वारा दिनांक 14.5.2015 तक भुगतान किए गए अन्य प्रभार यूनिटों के लेखे में जमा कर दिए जाएंगे ।
- क्रमांक 3,4 तथा 9 (क) में उल्लिखित कोटियों के लिए प्रभार दिनांक 01.05.2015 से प्रभावी होंगे । दिनांक 29.4.2015 के परिपत्र संख्या 02 के अनुसार यूनिटों द्वारा दिनांक 14.5.2015 तक भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रभारों को उनके लेखे में जमा कर दिया जाएगा ।

2. अन्य अनुमतियां :

(क) पुलिस अधिकारियों / कर्मियों का प्रवेश

i) इस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित है । तथापि निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने पर इसके लिए उनको अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. नाम तथा पदनाम
2. आइ कार्ड नं
3. स्थान जहां जाना चाहते हैं
4. जाने का प्रयोजन

ii) गेट प्रभारी ड्यूटी पर आनेवाले पुलिस अधिकारी/कर्मी को यूनिट तक ले जाने के लिए साथ में सुरक्षा रक्षक को भेजेगा । इस कार्य के लिए नामित सुरक्षा रक्षक पुलिस अधिकारी/ कर्मी के साथ तक रहेगा जब तक कि वह परिसर से बाहर न चला जाए ।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारी/कर्मचारी

सीप्ज़ - सेज में आनेवाले सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रभारी सुरक्षा (संयुक्त विकास आयुक्त) से पूर्व अनुमति लेनी होगी । विकास आयुक्त कार्यालय के गेट पास काउंटर से उन्हें विशिष्ट गेट पास जारी किया जाएगा ।

(ग) गेट प्रभारी ऑटो रिक्शा /टैक्सियों पर सवार विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश करने की अनुमति देंगे :-

i) यूनिट सरकारी अस्पताल से यह प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें संबंधित व्यक्ति के वास्तविक रूप में विकलांग होने को प्रमाणित किया गया हो ।

ii) ऑटो रिक्शा /टैक्सी में केवल विकलांक व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

iii) यूनिट अपने प्रतिनिधि को प्रवेश के समय ऑटो रिक्शा के साथ इस्कॉट करने के लिए भेजेगा जो रिक्शा में विकलांग व्यक्ति के न होने पर भी मेन गेट तक जाएगा ।

iv) यदि उपर्युक्त में कोई उल्लंघन होता है, तो अनुमति रद्द की जा सकती है ।

(घ) रात्रि पारी अनुमति

रात्रि पारी के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । तथापि यूनिट को सुरक्षा अधिकारी / प्रभारी गेट नं 1 को निम्नलिखित फॉर्मेट में सूचना अवश्य भेजनी है : -

दिनांक	**यूनिट का नाम**		
क्रमांक	**कर्मचारी का नाम**	**सीप्ज़ आइडी नं**	**वाहन पंजीकरण नं / वाहन टाइप**

केवल उन्हीं स्थायी गेट पासधारकों को रात्रि पारी के दौरान सीप्ज़ के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है जिनके बारे में उपर्युक्त फॉर्मेट में सुरक्षा अधिकारी को सूचना भेजी गई हो । सीप्ज़ - सेज़ रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे के बीच प्रवेश करते समय उनके लिए गेट नं 1 पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक होगा ।

(ङ:) सर्वर के खराब होने पर हाथ से गेट पास जारी करना

1. सर्वर के खराब होने पर परी प्रभारी / सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार हाथ से गेट पास जारी किए जाएंगे :-
   यूनिट निम्नलिखित फॉर्मेट के अनुसार अपने लेटर हेड पर अपने प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरि आगंतुकों / मजदूर (विक्रेता) / मजदूर (विनिर्माण) / सनसिटी होटल अतिथि की सूची प्रस्तुत करेंगे ।

i) आगंतुकों के लिए

क्रमांक	व्यक्ति का नाम जिसको पास जारी किया जाना हो	आगमन का उद्देश्य

ii) मजदूर (विक्रेता) के लिए

क्रमांक	मजदूर का नाम जिसको पास जारी किया जाना हो	विक्रेता का नाम	विक्रेता का लाइसेन्स नं.	विक्रेता का पता तथा टेलीफ़ोन	कार्य की प्रकृति

iii) मजदूर (विनिर्माण) के लिए

क्रमांक	मजदूर का नाम जिसको पास जारी किया जाना है	संविदाकार का नाम	संविदाकार का लाइसेन्स नं.	संविदाकार का पता तथा टेलीफ़ोन	कार्य की प्रकृति

iv) सनसिटी होटल के अतिथि के लिए

क्रमांक	अतिथि का नाम	यूनिट का संदर्भ	ड्राइवर का नाम	वाहन संख्या

v) वाहन के साथ आने वाले आगंतुकों के लिए

क्रमांक	व्यक्ति का नाम जिसको पास जारी किया जाना है	ड्राइवर का नाम	वाहन संख्या	आगमन का उद्देश

2. उपर्युक्त सूची के प्राप्त होने पर, समान संख्या हाथ से बनाए गए दो प्रतियों में गेट पास यूनिट को जारी किए जाएंगे । यूनिट सूची में घोषित किए गए विवरण भर देंगे ।
3. आगंतुक / मजदूर (विक्रेता) / मजदूर (विनिर्माण) / सनसिटी होटल के अतिथि प्रवेश के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक को डुप्लिकेट गेट पास सरेंडर करेंगे ।
4. निकास के समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक को मूल गेट पास सरेंडर किया जाएगा ।
5. एक दिन के निःशुल्क गेट पास की सुविधा का दुरुपयोग किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है । यदि कोई यूनिट क्रमांक 1 (क), 1 (ख), तथा 2 के अंतर्गत उल्लिखित गेट पासों का दुरुपयोग मजदूरों के अंदर आने के मामले में करता हुआ पाया जाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा जिसमें क्रमांक 1 (क) से लेकर 1 (ग) तथा 2 के अंतर्गत गेट पास कोटियों के निःशुल्क गेट पास की सुविधा का वापस लिया जाना शामिल है ।

(च) एक दिन के गेट पास पर मुहर लगाना ।

I. आगंतुकों / कर्मचारियों के प्रवेश के समय सुरक्षा स्टाफ एक दिन के गेट पास पर रद्दकरण की मुहर लगाएंगे।

II. एक दिन का गेट पास केवल यूनिट अथवा समान कंपनी के सहयोगी यूनिटों के लिए वैध है । एक दिन के गेट पासधारक को सीप्ज़ के अंदर इधर -उधर घूमने की अनुमति नहीं है । कोई भी व्यक्ति जो इस अनुदेश का पालन नहीं करेगा , के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है । इस कार्रवाई के अंतर्गत काली सूची में नाम डालना भी शामिल है ।

3.नियम तथा विनिमय :

(क) समय :-

i) एक दिन का गेट पास जारी किए जाने के समय से केवल आठ घंटे तक के लिए वैध है । तथापि एक दिन के गेट पास धारक को रात्रि के 11.00 बजे के बाद सीप्ज़ - सेज मे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें पारी प्रभारी /गेट नं 1 के प्रभारी से विशेष अनुमति ली गई हो ।

ii) सनसिटी होटल के अतिथि को एक दिन के लिए जारी किए जाने वाले गेट पास जारी किए जाने के समय से 24 घंटे के लिए ही वैध रहेंगे । ऐसे सभी पास वैधता अवधि के दौरान अनेक बार प्रवेश करने तथा निकास के लिए वैध रहेंगे ।

iii. किसी भी वाहन /व्यक्ति को जोन के अंदर 12.00 बजे (अर्ध रात्रि) से लेकर प्रात : 5.30 बजे तक के बीच नहीं आने दिया जाएगा जबतक कि इसके लिए प्रभारी सुरक्षा (संयुक्त विकास आयुक्त) से विशेष अनुमति न ली गई हो ।

iv. वाहनों (ट्रकों /टेम्पो) जिनमें कि आयात तथा निर्यात से संबंधित कन्साइनमेंट से भिन्न सामग्रियां/वस्तुएं हों , को सायं 6 बजे के बाद अंदर नहीं आने दिया जाएगा ।

v. कचरा संविदागत मजदूरों को जोन के अंदर 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे के बीच रहने दिया जाएगा ।

vi. सफाई संविदागत मजदूरों को जोन के अंदर प्रात : 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक ही रहने दिया जाएगा

(ख) गेट पासों का सरेंडर किया जाना/खो जाना ।

i) यूनिट गेट पासों की वैधता अवधि के समाप्त होने/कर्मचारी की सेवा समाप्त होने/कर्मचारी के त्याग -पत्र देने पर गेट पास तत्काल गेट पास काउंटर पर सरेंडर करेंगे । गेट पासों के सरेंडर न किए जाने पर 1000 रु प्रति गेट पास की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा जो संबंधित यूनिट से वसूल किया जाएगा ।
इसके अतिरिक्त यूनिट के प्रबंधन को ऐसे समाप्त गेट पासों के दुरुपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।

ii) कचरा संविदाकार / सफाई संविदाकार को भी कचरा संविदा के समाप्त होने पर उनके कर्मचारियों को जारी किए गए गेट पास सरेंडर करने होंगे । वैधता अवधि के बाद गेट पास के दुरुपयोग किए जाने /गेट पासों के सरेंडर न किए जाने पर प्रतिगेट पास 5,000 रू की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा जो संविदाकार की प्रतिभूति जमा में से वसूला जाएगा । संविदाकार मजदूरों द्वारा गेट पासों के दुरुपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा ।

iii) गेट पास/कार स्टीकर /दुपहिया स्टीकर के खो जाने के दशा में क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में इसके लिए एफ आइ आर दर्ज कराई जाए तथा इसकी मूल प्रति सीप्ज सुरक्षा को डुप्लिकेट गेट पास /कार स्टीकर /दुपहिया स्टीकर जारी किए जाने हेतु आवेदन के साथ 100 रू के नॉन जुडीशियल स्टैंप पेपर को तथ्यों के शपथ - पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

iv) गेट पास के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने अथवा किसी प्रकार के दुरुपयोग किए जाने पर सीप्ज प्रशासन द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है तथा कार्रवाई भी की जा सकती है ।

(ग) <u>वाहनों का प्रवेश</u>

i) सीप्ज़ - सेज सुरक्षा द्वारा बसों /कारों / दुपहियों के लिए जारी किए गए स्टिकर विंड शील्ड के फ्रंट ग्लास के बाएं हाथ के सबसे ऊपरी कोने पर चिपकाया जाए ताकि प्रवेश/निकास के समय यह आसानी से देखा जा सके ।

ii) सीप्ज़ - सेज सुरक्षा द्वारा दुपहियों के लिए जारी किए गए स्टिकर फ्रंट साइड पर चिपकाए जाएं ।

iii) यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि संविदा की बसें विश्वसनीय संविदाकार से किराए पर ली जाएं । यूनिट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संविदाकार सीप्ज़ - सेज प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करें ।

iv) यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि बस ड्राइवर तथा क्लीनर वाहन से नहीं उतरेंगे तथा संविदा की बसें अंतिम यात्री के बस के उतरने के 10 मिनट के अंदर क्षेत्र के बाहर चली जाएं ।

v) कार दुपहियों के मालिक अपनी कार /दुपहिए में बिना वैध पास अप्राधिकृत व्यक्तियों को अंदर नहीं लाएंगे। क्रियाविधि का उल्लंघन करने पर अर्थदंड / गेट /कार /दुपहिए स्टिकरों को समाप्त करने सहित विनियामक कार्रवाई भी की जा सकती है ।

vi) बस मालिक /ऑपरेटर को संबंधित यूनिट द्वारा प्रमाणित घोषणा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी जिसमें प्रत्येक यूनिट के फेरे के समय का उल्लेख किया गया हो ।

vii) कांप्लेक्स के अंदर बसों को घोना /साफ करना सख्त मना है ।

viii) केवल ऐसी यूनिटों को ही संविदा बसों की सुविधा के लिए अनुमति दी जाएगी जिनमे कम से कम 20 कर्मचारी हों । ऐसे यूनिट ज़ोन में स्थित अन्य यूनिटों के कर्मचारियों को पूलकर सकते हैं वशर्ते आवेदक यूनिट अन्य यूनिटों से पत्र लेकर प्रस्तुत करें । बस में चढ़ने का स्थान एक ही रहेगा ।

ix) संबंधित यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कभी वाहन ऑपरेटर के साथ संविदा - व्यवस्था समाप्त हो , तो वह सीप्ज़ - सेज सुरक्षा को इसकी तत्काल सूचना दे ।

x) कांप्लेक्स के अंदर हार्न बजाना ,टेप रिकार्डडर चलाना अथवा अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं है ।

xi) वाहन मालिक ज़ोन के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ही वाहन चलाएंगे । यदि 20 किलो मीटर प्रति घंटे की गति - सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो वाहन के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा । संबंधित यूनिट जिसने वाहन लिया है, से यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए यूनिट को जिम्मेदार माना जाएगा । बसों को सेंटर रोड पर यू - टर्न लेने की अनुमति नहीं है ।

xii) टैक्सियों तथा ऑटो रिक्शों जिनको विधिवत अनुमति दी गई है, को छोड़कर ज़ोन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि वाहनों में इंपोर्ट कार्गो सहित अन्य कार्गो लाए जाते हैं , तो यूनिट को गेट से ऐसे कार्गो को अंदर ले जाने की व्यवस्था करनी होगी ।

(ख) <u>वाहनों की पार्किंग</u>

i) एसडीएफ बिल्डिंगों /जेम तथा ज्वैलरी बिल्डिंगों के निकट चार पहियों /दुपहियों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराए गए हैं । संबांधित यूनिट की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहन पार्क करें । यदि वाहन निर्धारित स्थान पर पार्क नहीं किया जाता है तथा इससे मालों की ढुलाई तथा कर्मचारियों को आने-जाने में असुविधा होती है , तो इसके लिए 500 रू प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा ।

ii) किसी वाहन को रात्रि अर्थात 12.00 बजे से प्रातः 5.30 बजे तक के दौरान (केवल उन यूनिटों तथा उनके कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने इस परिपत्र के पैरा -2 (डी) के अनुसार सूचना दी हो) पार्क किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि जोन में उक्त अवधि के दौरान कोई वाहन पार्क किया गया पाया जाता है , तो इसके लिए 500 रू प्रतिदिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा ।

(पी. एस. रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़ - सेज़

प्रतिलिपि :

1) सीप्ज़ - सेज़ में स्थित सभी यूनिट
2) चेयरमैन , सीमा, सीप्ज़ - सेज़
3) प्रेसिडेंट , एसजी तथा जेएमए , सीप्ज़ - सेज़
4) रिजनल डायरेक्टर , 100% ईओयू तथा सेज के लिए ईपीसी , सीप्ज़ -सेज़
5) प्रबंधक , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया , सीप्ज़ -सेज़
6) प्रबंधक , भारतीय स्टेट बैंक , सीप्ज़ - सेज़
7) प्रबंधक , पंजाब नेशनल बैंक , सीप्ज़ -सेज़
8) प्रबंधक , बैंक ऑफ इंडिया , सीप्ज़ -सेज़
9) प्रबंधक , (ओबीयू) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , सीप्ज़ -सेज़ ++
10) प्रबंधक, (ओबीयू) आइसीआइसीआइ बैंक , सीप्ज़ ++
11) प्रबंधक म स्टेट बैंक ऑफ पटियाला , सीप्ज़ ++
12) सभी एटीएम , सीप्ज़ -सेज़

14) कस्टोडियन , एमएम टी सी , सीप्ज़ -सेज़
15) डिप्टी इंजीनियर , एमआइडीसी
16) मेसर्स थॉमस कुक ट्रेवल्स , सीप्ज़ -सेज़
17) मैनेजर, इंडियन कॉफी हाउस , सीप्ज़ -सेज़
18) मैनेजर , कायडी केटरर्स , सीप्ज़ - सेज़
19) मैनेजर, कायडीज कैंटीन सीप्ज़ -सेज़
20) मैनेजर, सनसिटी प्रीमियर , सीप्ज़ -सेज़
21) डिविजनल इंजीनियर, एमटीएनएल , सीप्ज़ -सेज़
22) बिग बॉस जिम , बीएफसी बिल्डिंग
23) मेसर्स स्त्री मुक्ति संगठन
24) मेडिकल सेंटर, बीएफसी बिल्डिंग
25) मेसर्स बीवीजी इंडिया लि
26) मेसर्स जी4एस सिक्योर सोल्यूशन्स (आइ) प्रा. लि .
27) मेसर्स सिता कन्सलटेंट सर्विसेस
28) आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए